

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

कल्याण खनाम देवीसहाय को.

प्रा. वत्र 212 आर. टी. एकट

28.11.19 आज यह प्रा. वत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212
आर. टी. एकट का प्रकीर्ण प्रार्थी ने अप्रार्थिगण के विरुद्ध
प्रस्तुत कर अप्रार्थिगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा
से बाबन्द करने का निवेदन किया गया कि आराजी
बिबादित हाल ख. सं. 1960/0. 10, 1961/0. 10, 1968/0. 10,
1969/0. 23, 1970/0. 01, 1971/0. 80 है. माके ग्राम बल्देवगढ
तह. राजगढ मे स्थित है ते घिना तकीसम हूये आराजी को बीगर
जगह सुन्तकिल न करें जेबरन बेदखल कर प्रार्थी को आराजी वर
कब्जा न करें निर्माण न करें कार्य काशत प्रार्थी मे उसके हिस्से मे
किसी प्रकार की रुकावट मजाहमत पैदा न करें मौका व राजस्व
रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रये। साथ मे शमथ वत्र नैम
किया गया।

प्रा. वत्र प्रार्थी शमथ वत्र व प्रस्तुत दस्तावेज वर
विश्वास करते हूये अप्रार्थिगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई
निषेधाज्ञा से दिनांक 8. 1. 2020 तक बाबन्द किया जाता है
कि वो बिबादित आराजी को मौका की स्थिति यथावत
बनाये रये साथ मे नोटिस भी जारी हो कि उन्हे इंस सम्बन्ध
मे कोई एतराज हो तो दिनांक 8. 1. 2020 को उपस्थिति न्यायालय
होकर पेश करें। दर्ज हों।

उम बांड अधिकारी, राजगढ

08/01/20 इज्जद्दीन पेशी से पेश
पीठारीन अधिकारी अन्य कार्यों में
व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 5.03/2020
को पेश हो।

रीडर

13/1/20

~~तक बाबंदपदी जगह कब्जे~~
~~जाने लहे चो तल्लक प्रमाण~~

इस न्यायालय का सब तल्लक
दि 28/11/19 आराजी को

05/3/20 तक कब्जा

0.0.2
5.80
दिनांक 08/01/2020
पीठारीन अधिकारी

